

उत्सवका समायोजन विस्तृत अगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

vi. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी इटि के मध्यवर्ती रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vii. आगणन में जिन मटों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मट का दूसरी मट में व्यय कदाचित किया जाय।

viii. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रैव्यवैरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बनाट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपलन किया जायेगा।

ix. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संघट्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

x. उत्तराखण्ड स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिकारी, यूटिलिटी शिपिंग आदि मटों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संघट्या-22 के सुधारणत लेखाशीर्षक/मानक मदां/उपमदां में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधिकत तथा निर्गतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण व्यचित्र संबोधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमूलत की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मट में निर्गत में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xiii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य से कोई कार्य प्रधानमंत्री गामीण सड़क योजनानवातीत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री गामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः नियमसमझी जायेगी।

xiv. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बगट आवंटन, वित्त अनुआग-1 के शासनादेश सं. - 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संघट्या- 22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.आई. द्वारा आपको आवंटित कोड संघट्या- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क- 337 सड़क निर्माण कार्य-03 गढ़य सेक्टर-0302 नवा निर्माण कार्य- 53 बुहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुआग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-II/67643/2022 दिनांक 30 मित्रवा, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अवधीय,


Signed by Ramesh Kumar
Sudhanshu
Date: 08-10-2022 13:09:12

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमाण सचिव।

प्रतिलिपि लिम्नलिहित को सूचनाथं एवं आवश्यक कथाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखकर (लेख प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल संपर्क, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
5. मुख्य अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/विधिक कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राज्यीय संस्था केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुबंधा- 2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अधिकारी, बारहवा वृन्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. अधिकारी अधिकारी, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हैनसड़कना।
11. गार्ड फार्मल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।
Date: 10-10-2022 18:46:49



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/69245/2022
अनुदान संख्या -022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर फूंकीगत परिक्षण

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नपा निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी									
53-वृहद निर्माण		870000	10000									
योग		870000	10000									

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

आवंटन आई डी-S22100220005
आवंटन पत्र दिनांक-11-OCT-2022

04-जिला तथा अन्य महके

03-राज्य सेवकर

Voted

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



विभाग

"नियोजन- " उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: iecPWDuk@nic.in

पत्रांक- 792 /20 यातांक' /2022

दिनांक- 7 / 10/2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं विभागात्मक कार्यवाही हेतु प्रीष्ठि:-

- मुख्य अधिकारी, सेवीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
- अधीक्षण अधिकारी, 12 वां पुस्त, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
- अधिकारी अधिकारी, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाक्षन।
- अधिकारी अधिकारी, आईटी०सैल विभागात्मक कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आराय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाइट" पर अपलोड कराने का काट करें।
- कानिल अधिकारी प्राधिकारिक/काजट कर्म, विभागात्मक कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

कानिल
10/10/2022

परिचय प्रधान अधिकारी
कानिल अधिकारी की विभागीय विभागात्मक
कानिल सभी अधिकारी की विभागीय विभागात्मक